झारखण्ड शिक्षा परियोजना, राँची

मध्य विद्यालय बी०एम०पी०–1 डोरण्डा परिसर, राँची–834002

Email- jepranchi@gmail.com

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

"समग्र शिक्षा अभियान"

पत्रांक....218....   दिनांक....25.2.23....

आदर्श विद्यालय योजना अन्तर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों (Schools of Excellence) एवं प्रखण्ड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15.03.2022 के अनुरूप उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला स्तरीय चयन समिति के आदेशानुसार आदर्श विद्यालय योजना अन्तर्गत जिले के निम्नांकित उत्कृष्ट विद्यालयों (Schools of Excellence) एवं प्रखण्ड स्तरीय आदर्श विद्यालयों जिन्हें राज्य सरकार की महत्त्वाकांक्षी आदर्श विद्यालय योजना के अन्तर्गत गुणवत्त शिक्षा के केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, में अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन निम्न अंकित शर्तों के अधीन आमंत्रित किए जाते हैं :–

Sl.No	Subject	PGT						TGT						
		Category wise vacancy						Subject	Category wise vacancy					
		Total No. of vacant posts	UR	BC / BC-II	MBC / BC-I	ST	SC		Total No. of vacant posts	UR	BC / BC-II	MBC / BC-I	ST	SC
1	English	2	1	0	0	1	0	Hindi	16	8	0	2	5	1
2	Sanskrit	2	1	0	0	1	0	English	9	5	0	1	3	0
3	History	5	3	0	0	2	0	Urdu	4	2	0	0	2	0
4	Geography	2	1	0	0	1	0	Mathematics / Physics	38	19	1	2	14	2
5	Economics	2	1	0	0	1	0	Biology / Chemistry	28	14	0	2	11	1
6	Mathematics	3	2	0	0	1	0	Geography	6	3	0	1	2	0
7	Physics	11	6	0	1	4	0	History / Civics	25	13	0	2	9	1
8	Biology	1	1	0	0	0	0	Sanskrit	26	13	0	2	10	1
9	Chemistry	9	5	0	1	3	0	Economics	5	3	0	0	2	0
10	Maithili	5	3	0	0	2	0	Commerce	1	1	0	0	0	0
11	Commerce	1	1	0	0	0	0	Physical Education	9	5	0	1	3	0
	Total	**43**	**25**	**0**	**1**	**14**	**3**	**Total**	**167**	**86**	**1**	**13**	**61**	**6**
	दिव्यांगजनों को कुल रिक्त पदों की कुल संख्या का 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार देय होगा ।							**दिव्यांगजनों को कुल रिक्त पदों की कुल संख्या का 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार देय होगा ।**						

1. **आवेदन करने की प्रक्रिया :–**

   i. चयन हेतु विस्तृत **विज्ञापन/आवेदन प्रपत्र एव अन्य सभी जानकारी** जिले के अधिकारिक वेबसाईट (**www.dseranchi.com**) पर देखा जा सकता है।

   ii. योग्य अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र (आवेदन का प्रारूप **परिशिष्ट 'ख'** के रूप में संलग्न) में आवेदन **झारखंड शिक्षा परियोजना, मध्य विद्यालय बी.एम.पी डोरण्डा, पोस्ट–डोरण्डा, जिला–राँची, पिन कोड– 834002** कार्यालय में आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक **(लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से पद का नाम एवं विषय अंकित करना अनिवार्य होगा)** द्वारा दिनांक **13.03.2023** के अपराह्न 05:00 बजे तक स्वीकार किए जायेंगे। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे । निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

2. **चयन परीक्षा हेतु शुल्क 100/– रू. होगी परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह 50/– रू.** निर्धारित की जाती है। आवेदन शुल्क **Crossed Demand Draft JHARKHAND EDUCATION PROJECT, RANCHI** के नाम से **Payable at RANCHI** स्वीकार किए जायेंगे।

जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, राँची

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
जिला चयन समिति, राँची

झारखण्ड शिक्षा परियोजना, राँची
मध्य विद्यालय बी०एम०पी०–1 डोरण्डा परिसर, राँची–834002
Email- jepranchi@gmail.com

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

"समग्र शिक्षा अभियान"

पत्रांक 211 दिनांक 22/02/2023

आदर्श विद्यालय योजना अन्तर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों (Schools of Excellence) एवं प्रखण्ड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15.03.2022 के अनुरूप उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला स्तरीय चयन समिति के आदेशानुसार आदर्श विद्यालय योजना अन्तर्गत जिले के निम्नांकित उत्कृष्ट विद्यालयों (Schools of Excellence) एवं प्रखण्ड स्तरीय आदर्श विद्यालयों जिन्हें राज्य सरकार की महत्त्वाकांक्षी आदर्श विद्यालय योजना के अन्तर्गत गुणवत्त शिक्षा के केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, में अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन निम्न अंकित शर्तों के अधीन आमंत्रित किए जाते हैं :–

Sl.No	Subject	PGT						Subject	TGT					
		Category wise vacancy							Category wise vacancy					
		Total No. of vacant posts	UR	BC / BC-II	MBC / BC-I	ST	SC		Total No. of vacant posts	UR	BC / BC-II	MBC / BC-I	ST	SC
1	English	2	1	0	0	1	0	Hindi	16	8	0	2	5	1
2	Sanskrit	2	1	0	0	1	0	English	9	5	0	1	3	0
3	History	5	3	0	0	2	0	Urdu	4	2	0	0	2	0
4	Geography	2	1	0	0	1	0	Mathematics / Physics	38	19	1	2	14	2
5	Economics	2	1	0	0	1	0	Biology / Chemistry	28	14	0	2	11	1
6	Mathematics	3	2	0	0	1	0	Geography	6	3	0	1	2	0
7	Physics	11	6	0	1	4	0	History / Civics	25	13	0	2	9	1
8	Biology	1	1	0	0	0	0	Sanskrit	26	13	0	2	10	1
9	Chemistry	9	5	0	1	3	0	Economics	5	3	0	0	2	0
10	Maithili	5	3	0	0	2	0	Commerce	1	1	0	0	0	0
11	Commerce	1	1	0	0	0	0	Physical Education	9	5	0	1	3	0
	Total	**43**	**25**	**0**	**1**	**14**	**3**	**Total**	**167**	**86**	**1**	**13**	**61**	**6**
	दिव्यांगजनों को कुल रिक्त पदों की कुल संख्या का 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार देय होगा ।							**दिव्यांगजनों को कुल रिक्त पदों की कुल संख्या का 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार देय होगा ।**						

1. **अहर्ता :–**

i. **स्नातकोत्तर प्रशिक्षित (PGT) शिक्षकों हेतु –**

- राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय, जिसमें चयन होना है में न्यूनत्तम 50 प्रतिशत् अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री। परन्तु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्युर्थियों हेतु न्यूनत्तम 45 प्रतिशत् अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री।
- साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से B.Ed. अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा B.Ed. के समकक्ष घोषित डिग्री।

(चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक अहर्ता स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अधिसूचना संख्या 2425 दिनांक 04.09.2012 के अनुरूप होगी) अनुलग्नक (1)

ii. **स्नातक प्रशिक्षित (TGT) शिक्षक हेतु –**

- राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय जिसमें चयन होना है (स्नातक के सभी तीन वर्षो में पढ़ाई की गई हो) में न्यूनत्तम 50 प्रतिशत् अंकों के साथ स्नातक की डिग्री। परन्तु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्युर्थियों हेतु न्यूनत्तम 45 प्रतिशत् अंकों के साथ स्नातक डिग्री।
- साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से B.Ed. अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा B.Ed. के समकक्ष घोषित डिग्री।

(चयन हेतु निर्धारित अहर्ता स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अधिसूचना संख्या 434 दिनांक 01.03.2016 एवं यथासंशोधित नियमावली अधिसूचना संख्या 355 दिनांक 22.02. 2022 के अनुरूप होगी) अनुलग्नक (2)

2. उम्र :–

- न्यूनत्तम एवं अधिकत्तम आयु सीमा क्रमशः 21 और 55 वर्ष होगी।
- उम्र का आकलन 31.12.2022 के आधार पर किया जाएगा।

3. आरक्षण :–

- चयन में झारखण्ड सरकार द्वारा जिला स्तरीय नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा।
- आरक्षित पदों पर झारखण्ड में निवास करने वाले अभ्यर्थियों जिन्हें झारखण्ड सरकार के अधीन सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण का दावा मान्य किया जाएगा।

4. संविदा शिक्षक की मासिक परिलब्धि :–

- संविदा शिक्षक को मासिक आधार पर समेकित भुगतान निम्न अनुसार किया जाएगा :–

क्र.सं.	शिक्षक की कोटि	नियत मानदेय प्रति माह
1	स्नातकोत्तर प्रशिक्षित (PGT) शिक्षक (सभी विषय)	रूपये 27,500/–
2	स्नातक प्रशिक्षित (TGT) शिक्षक (सभी विषय)	रूपये 26,250/–

5. संविदा शिक्षकों के निर्धारित कर्त्तव्य एवं दायित्व

संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे :–

i. नियमित कक्षा का संचालन/बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों की जांच।
ii. निरीक्षण कार्य/मूल्यांकन कार्य।
iii. विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम/सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की तैयारी एवं संचालन में छात्रों एवं सह–कर्मियों की सहायता करना।
iv. प्राचार्य द्वारा सौंपे गए सभी कार्य।

6. चयन की प्रक्रिया :–

उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षत्कार एवं व्यावहारिक कक्षा अवलोकन के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित दिशा–निदेशों के अनुरूप मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा। चयन हेतु समिति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। चयन की प्रक्रिया बिना कारण बताये चयन समिति द्वारा किसी भी समय स्थगित अथवा निरस्त किया जा सकता है।

7. चयन हेतु निर्धारित शर्तें – संविदा के आधार पर चयनित शिक्षक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15.03.2022 के अन्तर्गत निम्नांकित शर्तों के अधीन कार्य करेंगे :–

i. यह चयन जिले के उत्कृष्ट एवं आदर्श विद्यालयों में स्वीकृत पद के विरूद्ध आवश्यकता आधारित रिक्ति के आलोक में की जा रही है। अतः शैक्षणिक सत्र समाप्ति या नियमित शिक्षक के योगदान करने तक जो भी पहले हो अल्पकालीन संविदा के आधार पर की जाएगी।
ii. शैक्षणिक सत्र समाप्ति के पश्चात् चयन समिति द्वारा अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयनित एवं कार्य कर रहे शिक्षक के चयन समिति द्वारा यह कार्रवाई प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व कर ली जाएगी।
iii. संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षकों को नियमित चयन का कोई दावा/अधिकार नहीं होगा और न ही वे सरकारी शिक्षक संवर्ग का हिस्सा होंगे।
iv. ऐसे शिक्षक विद्यालय के प्राचार्य के अधीन एवं उनके द्वारा निर्धारित शर्त एवं बंधेज (संविदा के समय निर्धारित) के अनुरूप कार्य करेंगे।

v. संविदा आधारित चयन को एक शैक्षणिक वर्ष में 11 माह हेतु कार्य करने संबंधी एकरारनामा के आधार पर किया जाएगा। यह एकरारनामा चयनित उम्मीदवार एवं संबंधित विद्यालय के प्राचार्य के बीच निर्धारित शर्तों के अनुरूप किया जाएगा।

चयन समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष एकरारनामा एवं संविदा का विस्तार अगले शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व अल्पकालीन संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षक के कार्यकलाप का मूल्यांकन किया जाएगा तथा कार्य संतोषप्रद पाए जाने की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र हेतु संविदा विस्तार किया जाएगा। कार्य मूल्यांकन किए जाने पर कार्यकलाप असंतोषप्रद पाए जाने की स्थिति में आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु अवधि विस्तार नहीं किया जाएगा तथा संबंधित शिक्षक की कार्य अनुमति विखण्डित मानी जाएगी। तदोनुसार संबंधित रिक्त पद पर चयन समिति द्वारा पुनः विज्ञापन निकाल कर विहित प्रक्रिया करते हुए चयन की कार्रवाई की जाएगी।

8. आवेदन करने की प्रक्रिया :–

i. योग्य अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र (आवेदन का प्रारूप **परिशिष्ट 'ख'** के रूप में संलग्न) में आवेदन **झारखंड शिक्षा परियोजना, मध्य विद्यालय बी.एम.पी डोरण्डा, पोस्ट–डोरण्डा, जिला–राँची, पिन कोड– 834002** कार्यालय में आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा दिनांक **13.03.2023** के अपराह्न 05:00 बजे तक स्वीकार किए जायेंगे। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे । निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

ii. आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरीत छाया प्रति के साथ एक लिफाफा (10"x4.5") (प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु), जिसमें आवेदक का पूर्ण पता एवं उसपर 42 रूपये का डाक टिकट लगा होना अनिवार्य है, संलग्न करेंगे ।

iii. चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन प्रपत्र का प्रारूप जिले के अधिकारिक वेबसाईट (**www.dseranchi.com**) पर देखा जा सकता है।

iv. चयन के संबंध में अद्यतन जानकारी **झारखंड शिक्षा परियोजना, राँची** कार्यालय अथवा जिले के उपरोक्त अंकित अधिकारिक वेबसाईट पर देखी जा सकती है। अभ्यर्थी का दायित्व होगा कि वे नियमित रूप से अवलोकन करते हुए चयन संबंधी जानकारी प्राप्त करें।

9. चयन परीक्षा हेतु शुल्क 100/– रू. होगी परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह 50/– रू. निर्धारित की जाती है। आवेदन शुल्क **Crossed Demand Draft JHARKHAND EDUCATION PROJECT, RANCHI** के नाम से **Payable at RANCHI** स्वीकार किए जायेंगे।

10. पात्रता :– चयन परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना यह प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं। चयन समिति द्वारा विज्ञापित पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पात्रता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच करायी जाएगी। निर्धारित जांच के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अन्तर्गत नहीं होने पर आरक्षण/अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

21/03/2023

जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, राँची

21/3/2023

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
जिला चयन समिति, राँची

परिशिष्ट– 'ख'

JHARKHAND EDUCATION PROJECT, RANCHI

Application Form for Appointment of Teachers on Contract Basis in School of Excellence and Block Level Adarsh Vidyalaya for Session 2022-23/2023-24.

Important notes:

1. All entries should be made in capital letters
2. One form should be used for one post.
3. Enclose attested copies of testimonials with each form. (If applied for more than one post)

Post Applied for (Please indicate whether PGT/TGT)	**Subject Applied for**

1. **Candidate's Name** (in capital letters) (Please keep one box blank between First name, Middle name & Last name)

2. **Father's /Husband's Name** (in capital letters) ☐ Father ☐ Husband
(Please keep one box blank between First name, middle name & Last name)

3. **Date of Birth:** Day Month Year **4.** Gender: M ☐ F ☐ Oth ☐ Please Tick

6. **Age** as on 31.12.2022 Year ☐ Month ☐ Day ☐

7. **Candidate Address** (in capitals letters)

Name : ……

Father's/Husband Name : ……

Address : ……

……

Block ……..

City/Town : …… Pin : ……...……

Mobile No. 1 : ……

E-mail Id. : …….

Please affix one recent colour photograph with Self Attested

Signature of Candidate

7. **Academic Qualification** (Starting from High School level)
(Please give information as applicable. (Attach attested copies of Mark sheets and Certificates))

Name of Examination (with complete name of course passed)	Write name of Examination passed	Year of passing	Aggregate Marks			Subjects / Specialization	Duration of course (in months)	Board/ University
			Max. Marks	Marks obtained	%age of marks			
High School (Class X)								
Intermediate (Class XII)								
Graduation (Name of Course)								
Post Graduation (Name of Course)								
Others if any (Specify)								

8. Professional Qualification (Attach attested copies of mark sheets & certificates)

Name of Examination (with complete name of course passed)	Write name of Examination passed	Year of passing	Aggregate Marks			Subjects / Specialization	Duration of course (in months)	Board/ University
			Max. Marks	Marks obtained	%age of marks			
B.ED	Theory							
	Practical							
Any Other (Computer Proficiency)								

9. Experience (Attach separate sheet, if columns are insufficient)

Post held	Name of Institution	Period of service		No. of completed years & months	Classtaught	Subjects taught	Scale of pay and salary permonth
		From	To				

10. Are you able to teach through English and Hindi, both? Yes ☐ No ☐
(Please mark (√) tick in the appropriate box) For teaching posts

11. Do you have knowledge of computer application? Yes ☐ No ☐

(Please mark (√) tick in the appropriate box) For teaching posts

12. Social Category (ST/SC/MBC/BC/UR) ☐

13. Crossed Demand Draft No : …… Issue Date …….

Issued by ……..……..

Amount ……..

Note : Demand Draft for ST& SC is Rs. 50/- Only and Other (UR/MBC/BC) is Rs. 100/- Only

Note : Please necessary mention Post Name & Subject (Bold Letter) in Envelope

UNDERTAKING

I hereby certify that all the information given above are true and correct to the best of my knowledge. I have attached attested copies of my testimonials in support of the entries made above. I also agree that mere eligibility does not confer right to be called for interview/selection. My candidature may be cancelled in case any information is found to be incorrect on verification.

Place : ……

Date : ……. Signature

Name : ……

Contact No.: ……

Office use only

Application Number (Post wise) …….

Particular Checked and Candidate is eligible for said post as per KVS Norms

1. Name …… Signature ……
2. Name …… Signature ……

JHARKHAND EDUCATION PROJECT, RANCHI

Admit Card

Admit Card for Written Exam & Interview for Appointment of Teachers on Contract Basis in School of Excellence and Block Level Adarsh Vidyalaya for Session 2022-23/2023-24

(A)- To be filled by Candidate

Post Applied for the Subject of ……..……..:……..

Candidate Name : ……..

Father's/Husband Name :……

Mobile Number : ……...

Email id (In Capital letter) ……

Please affix one recent colour photograph with self attested

Signature of Candidate

Correspondence Address : ……..

…….

…….

Block… ……District…..……

Pin Code …….. State ……

(A) Office Use Only

Centre Name		Roll No :
Exam Date	Timing	Reporting Time

Instruction for Candidate :

- No Candidate will be allowed to enter the examination hall 15 minutes after scheduled time of starting of the examination.
- Candidate has to bring original admit card with one photo copy. Admission will not be granted in absence of this document.
- Use Blue/Black Ball Point pen only. No other pen/pencil/gel pen to be used in the Answer Sheet.
- Use of Mobile, Calculator or any electronic instrument is strictly prohibited in the Examination Centre/Hall, as such candidates are advised not to carry these at the Examination Centre.

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

अधिसूचना

355
22/02/2022

रांची, दिनांक : ..... फरवरी, 2022

संख्या–12 / नि.1–07 / 2012(खण्ड) ..... भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा सभी कोटि के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों हेतु प्रवृत्त "झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2015" में निम्नांकित संशोधन करते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** :–

(i) यह नियमावली **"झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त (संशोधन) नियमावली, 2022"** कहलायेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **नियम– 9 (I) (i) के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाता है** :–

"(i) (क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पूर्व–प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम् योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2014 (यथासंशोधित, 2021) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी :–

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में "स्नातक (स्नातक के सभी तीन वर्षों में संबंधित विषय की पढ़ाई की गई हो) अथवा स्नातकोत्तर में **कम से कम 50 प्रतिशत** अंकों सहित" तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।

अथवा

13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय–सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में "स्नातक (स्नातक के सभी तीन वर्षों में संबंधित विषय की पढ़ाई की गई हो) अथवा स्नातकोत्तर में **कम से कम 45 प्रतिशत** अंकों सहित" तथा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में ''स्नातक (स्नातक के सभी वर्षों में संबंधित विषय की पढ़ाई की गई हो) अथवा स्नातकोत्तर में **कम से कम 50 प्रतिशत** अंकों सहित'' तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.ए.एड./बी.एससी.एड.।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में **न्यूनतम 55 प्रतिशत** अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर तथा तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.–एम.एड.।

परन्तु यह कि प्राच्य भाषा (संस्कृत, अरबी, उर्दू, फारसी) के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक हेतु उपर्युक्त मान्यता प्राप्त प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियुक्ति के विषय में **न्यूनतम 50 प्रतिशत** अंको के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/समकक्ष घोषित संस्थान द्वारा नियुक्ति के विषय में **न्यूनतम 50 प्रतिशत** अंको के साथ प्रदत्त आचार्य (साहित्य अथवा व्याकरण), फाजिल (अरबी अथवा उर्दू, फारसी) की डिग्री अनिवार्य होगी।

शारीरिक शिक्षकों के लिए राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य में **न्यूनतम् 50 प्रतिशत** अंकों के साथ स्नातक डिग्री एवं शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.पीएड.) अनिवार्य होगी।

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षण कोटि वाले आवेदकों के मामले में उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंकों में **अधिकतम् 05 प्रतिशत अंकों** की छूट की अनुमति दी जा सकती है।

(ग) "उक्त अनिवार्य शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति–रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।"

3. **नियम– 9 (i) (ii) के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाता है :–**

''परन्तु वैसे अभ्यर्थी, जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिये हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, को शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के

परीक्षाफल झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति के परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक समर्पित करना आवश्यक होगा। निर्धारित तिथि तक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वतः समाप्त समझी जायेगी। तत्पश्चात् आयोग/प्राधिकार द्वारा जिलावार मेधा सूची तैयार की जायेगी।

मेधा सूची में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान (*equal marks*) रहने पर मेधा का निर्धारण अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा।

यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनकी स्नातक योग्यता (स्नातकोत्तर योग्यता, यदि लागू हो) में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात् स्नातक योग्यता (स्नातकोत्तर योग्यता, यदि लागू हो) परीक्षा में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मेधा क्रम में ऊपर रखा जायेगा।''

आयोग/प्राधिकार द्वारा मेधा सूची के रूप में अनुशंसा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध करायी जा सकेगी तथा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, विभाग का आदेश प्राप्त करते हुए जिलावार प्राप्त मेधा सूची, उपायुक्त को उपलब्ध करायेंगे तथा उपायुक्त मेधा सूची पर जिला स्थापना समिति की बैठक में निर्णय लेते हुए मेधा सूची से निर्धारित योग्यता एवं अर्हत्ता को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।''

4.(i) **नियम– 10 (I) (i) के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाता है :–**

''(i)(क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पूर्व–प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम् योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2014 (यथासंशोधित, 2021) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी :–

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में **कम से कम 50 प्रतिशत** अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।

अथवा

13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय–सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर में **कम से कम 45 प्रतिशत** अंकों सहित तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।

355
22/02/2022

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में **कम से कम 50 प्रतिशत** अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.ए.एड./बी.एससी.एड.।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में **न्यूनतम 55 प्रतिशत** अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर तथा तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.–एम.एड.।''

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा सभी कोटि के निःशक्त आरक्षण कोटि वाले आवेदकों के मामले में उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंकों में **अधिकतम् 05 प्रतिशत अंकों** की छूट की अनुमति दी जा सकती है।

(ग) **वांछित योग्यता** :– कम्प्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी।

4.(ii) **नियम– 10 (i) (ii)** को विलोपित किया जाता है।

5. **नियम– 10 (ii) (iii) के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाता है :–**

''प्रश्न पत्र (1) एवं (2) में प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी, परन्तु प्रश्न पत्र (1) एवं (2) में योग के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। यह मेधा सूची प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति का आधार होगी। प्रश्न पत्र (1) एवं (2) वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा आयोजित किये जाने वाले प्राधिकार द्वारा उक्त के अनुरूप सिलेबस जारी किया जायेगा।

मेधा सूची में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान (*equal marks*) रहने पर मेधा का निर्धारण अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा।

यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातकोत्तर योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात् स्नातकोत्तर योग्यता परीक्षा में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मेधा क्रम में ऊपर रखा जायेगा।''

6. **नियम– 10 (iii) (i) के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाता है :–**

''प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हत्ता वही होगी, जो प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु इस नियमावली के नियम 10(i)(i) एवं नियम– 2(xx) में निर्धारित/परिभाषित है।''

7. **नियम– 10 (iii) (iii) के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाता है :–**

''वरीयता सूची तैयार करने में सर्वप्रथम प्रवरण वेतनमान् प्राप्त शिक्षकों को रखा जायेगा तथा इसके पश्चात् वरीय वेतनमान् के शिक्षक, जिनकी कुल सेवा अवधि (मूल [illegible]) 24 वर्षों की हो गयी हो, को रखा जाएगा तथा

वरीयता क्रम में प्रोन्नति पर विचार किया जाएगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कोटि में 24 वर्षों के अनुभव वाले शिक्षकों के अभाव में न्यूनतम् कुल सेवा 18 वर्ष ही मान्य होगी।

उपर्युक्त के उपरांत भी निर्धारित अर्हता धारण करने वाले स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षकों के अभाव में वैसे सभी स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के कार्यरत शिक्षकों को रखा जाएगा, जिनकी न्यूनतम सेवा उसके पूर्व वर्ष की 31 दिसम्बर तक 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कोटि में 24/18 वर्षों के अनुभव वाले शिक्षकों के अभाव में न्यूनतम् कुल सेवा 15 वर्ष ही मान्य होगी तथा वरीयता क्रम एवं आरक्षण अनुसार प्रोन्नति पर विचार किया जाएगा।

8. झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त (संशोधन) नियमावली, 2022, मूल नियमावली का अभिन्न अंग होगा एवं अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

9. विभागीय संलेख ज्ञापांक– 12/नि.1–07/2012/148 दिनांक 25.01.2022 के द्वारा "झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त (संशोधन) नियमावली, 2022" के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 10.02.2022 को संपन्न बैठक में मद संख्या – 58 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

21/02/22

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 12/नि.1–07/2012(खण्ड)355/ **राँची, दिनांक** 22/02/**2022**

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के आगामी असाधारण मे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

21/02/22

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 12/नि.1–07/2012(खण्ड)355 **राँची, दिनांक** 22/02/ **2022**

प्रतिलिपिः– झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/सभी क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/02/22

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 12/नि.1–07/2012(खण्ड)355 **राँची, दिनांक** 22/02/ **2022**

प्रतिलिपिः– महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय,राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/02/22

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव

(286)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) 434
01-03-2016.

अधिसूचना

संख्या 12/नि.1-07/2012 .....'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल सभी कोटि के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :-

अध्याय - 1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-

(I) यह नियमावली 'झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2015' कहलायेगी।

(II) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(III) यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी। परन्तु यह कि -

(i) राजकीय बालक माध्यमिक विद्यालयों/राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालयों/जिला स्कूलों में अवर शिक्षा सेवा { शिक्षण शाखा (पुरुष एवं महिला शाखा संवर्ग)} में नियुक्त होकर कार्यरत शिक्षकों की सेवा शर्त्तें (प्राचार्य के पद पर प्रोन्नति सहित) पूर्ववत् रहेंगी एवं वैसे शिक्षकों पर यह नियमावली प्रभावी नहीं होगी।

(ii) वर्ष 1981-82 एवं 1984-85 चरण के परियोजना माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षेकेत्तर कर्मचारियों के संदर्भ में राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों पर ही नियमावली के प्रावधान लागू होंगे। अन्य स्थितियों में इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम होगा।

(iii) परन्तु उक्त नियम -III के उप नियम (i) में उल्लिखित पूर्व से नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी की सेवा निवृत्ति अथवा मृत्यु या अन्य कारणों से रिक्त होने वाले पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई इस नियमावली के प्रावधानों के तहत् की जायेगी तथा ऐसे कर्मियों की सेवा शर्त्त इस नियमावली से ही आच्छादित होगी।

अध्याय - 2

2. परिभाषाएँ :- जब तक कोई बात, विषय संदर्भ न हो इस नियमावली में :-

(i) "सरकारी माध्यमिक विद्यालय" से अभिप्रेत है, झारखण्ड सरकार द्वारा संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय, राज्य सरकार द्वारा अथवा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत्

285

मध्य विद्यालय से उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, वर्ष 1981-82 चरण के राज्य सरकार द्वारा चयनित एवं संचालित परियोजना माध्यमिक विद्यालय एवं वर्ष 1984-85 चरण के राज्य सरकार द्वारा चयनित एवं संचालित परियोजना बालिका विद्यालय।

(ii) **"राजकीय माध्यमिक विद्यालय"** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा स्थापित राजकीय बालक माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय एवं जिला स्कूल।

(iii) **'राजकीयकृत उच्च विद्यालय'** से अभिप्रेत है, बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण-ग्रहण) अधिनियम-1981 के तहत् राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित विद्यालय, जो राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के नाम से वर्त्तमान में झारखण्ड राज्य के क्षेत्राधीन संचालित है।

(iv) **उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय'** से अभिप्रेत है, झारखण्ड सरकार द्वारा वर्ग-9 एवं वर्ग-10 के पठन-पाठन हेतु राज्य सरकार के स्तर से अथवा झारखण्ड माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर प्रारम्भिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किये गये विद्यालय।

(v) **"परियोजना माध्यमिक विद्यालय"** से तात्पर्य है, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1981-82 एवं 1984-85 चरण के चयनित एवं राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन संचालित सह शिक्षा अथवा बालिका शिक्षा हेतु परियोजना माध्यमिक विद्यालय।

(vi) **"माध्यमिक विद्यालय"** से तात्पर्य है, वर्ग-9 एवं वर्ग-10 की संचालित कक्षायें, भले ही ऐसे विद्यालय वर्ग-6 से वर्ग-12 तक की कक्षायें भी संचालित करते हों। वर्ग-6 से वर्ग-8 तक की कक्षायें प्रारम्भिक शिक्षा तथा वर्ग-11 से वर्ग-12 तक की कक्षायें +2 शिक्षा (इंटरमीडिएट शिक्षा) के नियंत्रणाधीन होगी।

(vii) **"उच्च विद्यालय"** से तात्पर्य है, माध्यमिक विद्यालय।

(viii) **'निदेशक'** से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य के माध्यमिक शिक्षा के निदेशक।

(ix) **'क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक'** से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य में प्रमंडलीय स्तर पर क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के पद पर पदस्थापित पदाधिकारी।

(x) **'जिला शिक्षा पदाधिकारी'** से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य में जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित पदाधिकारी।

(xi) **'प्रधानाध्यापक'** से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकार द्वारा उच्च विद्यालयों के प्रधान के रूप में नियुक्त/प्रोन्नत शिक्षक, **चाहे उसका पदनाम जो भी हो।**

(xii) **'शिक्षक'** से अभिप्रेत है, उच्च विद्यालयों के लिये नियुक्त होकर कार्यरत विभिन्न विषयों के शिक्षक।

(xiii) **'शिक्षकेत्तर कर्मचारी'** से अभिप्रेत है, वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पद पर उच्च विद्यालयों के लिये नियुक्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी।

(xiv) '**झारखण्ड अधिविद्य परिषद्**' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से स्थापित झारखण्ड अधिविद्य परिषद्।

(xv) '**सरकार**' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य सरकार।

(xvi) '**सरकार के सचिव**' से अभिप्रेत है, मानव संसाधन विकास विभाग के सचिव/प्रधान सचिव।

(xvii) '**राज्य**' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य।

(xviii) '**सक्षम प्राधिकार**' से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकार, जिसे राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति करने हेतु अनुशंसा के साथ मेधा सूची उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकृत किया जाय।

(xix) '**प्रशिक्षण**' से अभिप्रेत है, मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा बी0एड0 के समकक्ष घोषित डिग्री। परन्तु शारीरिक शिक्षा शिक्षक के मामले में प्रशिक्षण से अभिप्रेत होगा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में डिग्री।

(xx) '**मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान**' से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के अस्तित्व में आने की तिथि 17.08.1995 से पूर्व के मामलों में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान।

अध्याय – 3

3. सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पद के अनुरूप शिक्षकों की अधोलिखित श्रेणियाँ होंगी :–

(क) प्रधानाध्यापक –(i) प्रधानाध्यापक, मूल कोटि।
वेतनमान रु0 9300–34800, ग्रेड पे0 – रु0 5400/–
(ii) प्रधानाध्यापक वरीय वेतनमान रु0 15600–39100, ग्रेड पे0 – रु0 5400/–

(ख) स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक – (i) स्नातक प्रशिक्षित मूल कोटि।
वेतनमान रु0 9300–34800, ग्रेड पे0 – रु0 4600/–
(ii) स्नातक प्रशिक्षित वरीय वेतनमान कोटि।
वेतनमान रु0 9300–34800, ग्रेड पे0 – रु0 4800/–
(iii) स्नातक प्रशिक्षित प्रवरण वेतनमान कोटि।
वेतनमान रु0 9300–34800, ग्रेड पे0 – रु0 5400/–

(ग) शारीरिक शिक्षा शिक्षक (i) शारीरिक शिक्षा शिक्षक मूल कोटि।
वेतनमान रु0 9300–34800, ग्रेड पे0 – रु0 4600/–
(ii) शारीरिक शिक्षा शिक्षक वरीय वेतनमान कोटि।
वेतनमान रु0 9300–34800, ग्रेड पे0 – रु0 4800/–
(iii) शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रवरण वेतनमान कोटि।
वेतनमान रु0 9300–34800, ग्रेड पे0 – रु0 5400/–

283

(घ) प्राच्य भाषा शिक्षक
(i) प्राच्य भाषा शिक्षक मूल कोटि। वेतनमान रु0 9300-34800, ग्रेड पे0- रु0 4600/-
(ii) प्राच्य भाषा शिक्षक वरीय वेतनमान कोटि। वेतनमान रु0 9300-34800, ग्रेड पे0 - रु0 4800/-
(iii) प्राच्य भाषा शिक्षक प्रवरण वेतनमान कोटि। वेतनमान रु0 9300-34800, ग्रेड पे0 - रु0 5400/-

(ङ) संगीत शिक्षक (i) संगीत शिक्षक मूल कोटि। वेतनमान रु0 9300-34800, ग्रेड पे0- रु0 4200/-
(ii) संगीत शिक्षक वरीय वेतनमान कोटि। वेतनमान रु0 9300-34800, ग्रेड पे0 - रु0 4600/-
(iii) संगीत शिक्षक प्रवरण वेतनमान कोटि। वेतनमान रु0 9300-34800, ग्रेड पे0 - रु0 4800/-

4. सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियाँ होंगीः-

(i) लिपिक- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 11243 दिनांक 06.12.1995 के द्वारा निरूपित प्रावधानों के अन्तर्गत लिपिक सम्वर्ग के अनुरूप होंगी एवं इसके अनुरूप तथा इस संबंध में जारी दिशानिदेशों के अधीन ही लिपिक की नियुक्ति की जायेगी।

(ii) आदेशपाल- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 164 दिनांक 03.12.1980 एवं संकल्प संख्या 3577 दिनांक 25.04.97 में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अधीन आदेशपाल की नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

5. नियम-3 में शिक्षकों की दर्शायी गयी श्रेणियों में से मात्र मूल कोटि की श्रेणियों में ही इस नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के तहत् सीधी नियुक्ति की जायेगी। वरीय वेतनमान कोटि अथवा प्रवरण वेतनमान कोटि के पद प्रोन्नति द्वारा उस श्रेणी की मूल कोटि के नियुक्त प्रधानाध्यापक/स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप भरा जायेगा।

6. (i) केन्द्रीय विद्यालय संगठन नियमावली एवं वित्त विभाग, झारखण्ड के दिशा- -निदेशों के अनुरूप नियम 3 में दर्शायी गयी श्रेणियों की मूल कोटि के वेतनमान् में 12 वर्षों की संतोषप्रद सेवा के बाद उस श्रेणी का वरीय वेतनमान देय होगा। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की श्रेणी में प्रवरण वेतनमान का लाभ मूल कोटि में स्वीकृत पदों के 20% अनुमान्य पद के विरुद्ध वरीय वेतनमान में न्यूनतम् 12 वर्षों की सेवा करने वाले शिक्षकों को वरीयता क्रम में देय होगा। प्रवरण वेतनमान् में राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति का अनुसरण किया जायेगा। उक्त प्रोन्नति इस नियमावली के अध्याय-8 में उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय स्थापना समिति द्वारा की जायेगी।

(ii) शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को प्रोन्नति का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये गये इस संदर्भ में सुसंगत

प्रावधानों के आलोक में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय स्थापना समिति के विचारोपरान्त दिया जायेगा।

(iii) इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले शिक्षकों को ए0सी0पी0/ एम0ए0सी0पी0 का लाभ देय नहीं होगा।

अध्याय – 4

7. सम्वर्ग :–

(i) सरकारी माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का सम्वर्ग राज्य स्तरीय होगा तथा इनके नियुक्ति प्राधिकार निदेशक, माध्यमिक शिक्षा होंगे।

(ii) सरकारी माध्यमिक विद्यालय में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक का संवर्ग जिला स्तरीय होगा तथा इनके नियुक्ति प्राधिकार जिला स्थापना समिति के सदस्य सचिव/जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे।

(iii) सरकारी माध्यमिक विद्यालय में लिपिक एवं आदेशपाल का सम्वर्ग जिला स्तरीय होगा तथा इनके नियुक्ति प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे।

अध्याय – 5

8. वेतनमान :–

इस नियमावली में उल्लेखित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की श्रेणियों का वेतनमान राज्य सरकार (वित्त विभाग) द्वारा लागू वेतनमान होगा।

अध्याय – 6

9. स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की अर्हत्ताएँ एवं नियुक्ति की प्रक्रिया :–

(I) सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में इस नियमावली के नियम 3(ख)(i), 3(ग)(i), 3(घ) (i) एवं 3(ङ)(i) में उल्लेखित रिक्त पदों के आरक्षण प्रावधान के अनुरूप कोटिवार रिक्तियों की सूचना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा जिलावार जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त करते हुए कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत प्राधिकार को भेजी जायेगी। चिह्नित रिक्तियों में से 25 प्रतिशत पद सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों के निर्धारित अर्हत्ता प्राप्त पाँच वर्षो के अनुभव रखने वाले शिक्षकों द्वारा तथा 75 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे। परन्तु यह कि प्रारम्भिक विद्यालयों के निर्धारित अर्हत्ता प्राप्त शिक्षकों हेतु आरक्षित पदों पर योग्य शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं पाये जाते हैं, तो वैसी स्थिति में इन आरक्षित पदों पर भी सीधी नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जायेगी। उक्त सभी नियुक्तियाँ कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा आयोजित एक जाँच परीक्षा के माध्यम से होगी। जाँच परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निम्न अर्हत्ताधारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे :–

(i) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय, जिसमें नियुक्ति होनी है, में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। परन्तु

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी।

परन्तु यह कि प्राच्य भाषा के शिक्षक हेतु राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/समिति द्वारा प्रदत्त आचार्य (साहित्य अथवा व्याकरण) फाजिल (अरबी अथवा उर्दू, फारसी) की डिग्री अथवा संस्कृत, फारसी, उर्दू एवं अरबी भाषा में स्नातकोत्तर की डिग्री अनिवार्य होगी।

शारीरिक शिक्षकों के लिए राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य में न्यूनतम् 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। परन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी।

(ii) इस नियमावली के अध्याय-2 के नियम 2(xix) एवं 2(xx) के अनुरूप शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किये हों। परन्तु वैसे अभ्यर्थी, जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिये हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, को शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिये आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जायेगी। परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षाफल झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति के परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक समर्पित करना आवश्यक होगा। निर्धारित तिथि तक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वतः समाप्त समझी जायेगी। तत्पश्चात् आयोग/प्राधिकार द्वारा जिलावार मेधा सूची के रूप में अनुशंसा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध करायी जा सकेगी तथा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग का आदेश प्राप्त करते हुए जिलावार प्राप्त मेधा सूची को उपायुक्त को उपलब्ध करायेंगे तथा उपायुक्त मेधा सूची पर जिला स्थापना समिति की बैठक में निर्णय लेते हुए मेधा सूची से निर्धारित योग्यता एवं अर्हत्ता को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(iii) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा जिलावार रिक्त पदों की विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही जिला से आवेदन देना आवश्यक होगा। एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक जिला से आवेदन देने पर उनका अभ्यर्थीत्व स्वतः समाप्त कर दिया जायेगा, मानो वे किसी भी जिला से आवेदन नहीं दिये हों।

(iv) संगीत शिक्षक के लिए राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता आवश्यक होगी।

(v) जिस पंचांग वर्ष में नियुक्ति के लिये विज्ञापन निकाला जायेगा, उस वर्ष की पहली जनवरी को उम्मीदवार की आयु न्यूनतम् 21 वर्ष तथा अधिकतम कोटिवार निम्नरूपेण होगी :-

			विकलांग हेतु
1.	सामान्य कोटि	40 वर्ष	45 वर्ष
2.	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	43 वर्ष	48 वर्ष
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	42 वर्ष	47 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति (पुरुष/महिला)	45 वर्ष	50 वर्ष
5.	अनुसूचित जनजाति (पुरुष/महिला)	45 वर्ष	50 वर्ष

परन्तु, सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षकों को अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षो की छूट दी जायेगी।

(vi) जाँच परीक्षा निम्नवत् होगी :-

(क) प्रश्न पत्र (1)- सामान्य ज्ञान एवं हिन्दी भाषा की परीक्षा - 200 अंक

(ख) प्रश्न पत्र (2)- जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा - 300 अंक

(vii) उक्त प्रश्न पत्र (1) एवं प्रश्न पत्र (2) की परीक्षाएँ तीन-तीन घंटे की होंगी, अर्थात् प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा तीन घंटे की होगी। प्रश्न पत्र (1) अर्हक (Qualifying) प्रश्न पत्र होगा, अर्थात् इसमें मात्र न्यूनतम् 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परन्तु जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं किया जाता है, उनके प्रश्न पत्र (2) की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। प्रश्न पत्र (1) में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे।

(viii) प्रश्न पत्र (2) के प्रश्न भी स्नातक स्तरीय होंगे तथा प्रश्न पत्र (2) में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी, परन्तु इस प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को 45 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। यह मेधा सूची स्नातक प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति का आधार होगी। प्रश्न पत्र (1) एवं (2) वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगें।

परीक्षा आयोजित किये जाने वाले प्राधिकार द्वारा उक्त के अनुरूप सिलेबस जारी किया जाएगा।

(ix) प्राप्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षिक/प्रशैक्षणिक/जाति प्रमाण पत्रों की जाँच करते हुए सरकारी माध्यमिक विद्यालयो में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति एवं पदस्थापन नियमावली में गठित जिला स्तरीय स्थापना समिति की अनुशंसा पर किया जायेगा।

(x) जिला स्तरीय स्थापना समिति के निर्णय के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे।

अध्याय - 7

10. प्रधानाध्यापक की अर्हत्ताएँ एवं नियुक्ति की प्रक्रिया :-

(I) सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में इस नियमावली के नियम 3(क)(i) में उल्लेखित प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पद पर सीधी नियुक्ति हेतु आरक्षण प्रावधान के अनुरूप कोटिवार रिक्तियों की सूचना जिलावार निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्राप्त करते हुए झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजी जायेगी एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जाँच परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निम्न अर्हत्ताधारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे :-

(i) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से राज्य अथवा केन्द्र सरकार के माध्यमिक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से किसी एक विषय में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य होगी।

(ii) इस नियमवाली के अध्याय-2 के नियम 2(xix) एवं 2(xx) के अनुरूप बी.एड. प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किये हों।

(iii) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संगठन द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत संचालित प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालयों में 10 वर्षों का न्यूनतम शिक्षण अनुभव अनिवार्य होगा। परन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला के मामले में न्यूनतम 7 वर्षों का शिक्षण अनुभव अनिवार्य माना जायेगा।

(iv) प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम् आयु 35 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। परन्तु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्रों के आलोक में आरक्षित वर्ग यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/महिला वर्ग/विकलांग को आयु सीमा में छूट का प्रावधान होगा।

(v) Computer Application की जानकारी वांछनीय होगी।

(II) जाँच परीक्षा निम्नवत होगी :-

(i)	(क)	प्रश्न पत्र (1) - सामान्य ज्ञान की परीक्षा	- 200 अंक
	(ख)	प्रश्न पत्र (2)- जिस विषय में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई है उस विषय की परीक्षा	- 300 अंक

(ii) उक्त प्रश्न पत्र (1) एवं प्रश्न पत्र (2) की परीक्षाएँ तीन-तीन घंटे की होंगी, अर्थात् प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा तीन घंटे की होगी। दोनों प्रश्न पत्रों में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे।

(iii) प्रश्न पत्र (1) एवं (2) में प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी, परन्तु प्रश्न पत्र (1) एवं (2) में योग के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। यह मेधा सूची प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति का आधार होगी। प्रश्न पत्र

(1) एवं (2) वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगें। परीक्षा आयोजित किये जाने वाले प्राधिकार द्वारा उक्त के अनुरूप सिलेबस जारी किया जायेगा।

(iv) प्राप्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षिक/प्रशैक्षणिक/जाति प्रमाण पत्रों की जाँच करते हुए सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु इस नियमावली में गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति की अनुशंसा पर किया जायेगा।

(v) राज्य स्तरीय स्थापना समिति के निर्णय के आलोक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे।

(III) सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में इस नियमावाली के नियम 3(क)(i) में उल्लेखित प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों का 50 प्रतिशत पद निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हत्ता वाले सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से वरीयता सह मेधा क्रम में प्रोन्नति द्वारा इस नियमावली में गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति के प्रस्ताव एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर भरे जायेंगे। वरीयता का निर्धारण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी सुसंगत परिपत्रों में निहित प्रावधानों के तहत् किया जायेगा।

(i) प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हत्ता वही होगी, जो प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु इस नियमावली के नियम 10(I)(i) एवं 10(I)(ii) में निर्धारित है।

(ii) इस नियमावली में गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति द्वारा वरीयता सूची तैयार की जायेगी तथा यह वरीयता सूची सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति का आधार होगी।

(iii) वरीयता सूची तैयार करने में सर्वप्रथम प्रवरण वेतनमान् प्राप्त शिक्षकों को रखा जायेगा तथा इसके पश्चात् वरीय वेतनमान् के शिक्षक, जिनकी कुल सेवा अवधि (मूल वेतनमान् तथा वरीय वेतनमान् मिलाकर) 24 वर्षों की हो गयी हो, को रखा जाएगा तथा वरीयता क्रम में प्रोन्नति पर विचार किया जाएगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कोटि में 24 वर्षों के अनुभव वाले शिक्षकों के अभाव में न्यूनतम् कुल सेवा 18 वर्ष ही मान्य होगी।

(iv) प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी परिपत्र लागू होंगे।

(v) प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु योग्य शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की तिथि तक प्रोन्नति पर विचार किया जाएगा।

अध्याय – 8

11. **स्थापना समिति** :- नियमावली के नियम 3 एवं 4 के अधीन शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति, पदस्थापन, प्रोन्नति एवं अन्य कार्रवाईयों हेतु निम्नवत् राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय स्थापना समिति गठित की जाती हैं :-

(I) **राज्य स्तरीय स्थापना समिति (प्रधानाध्यापक हेतु)** :-

277

(i)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	–	पदेन अध्यक्ष
(ii)	उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा (विषय प्रभारी)	–	पदेन सदस्य
(iii)	वरीयतम क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक	–	पदेन सदस्य
(iv)	विभागीय सचिव द्वारा मनोनीत अनुसूचिज जाति/जनजाति का एक राजपत्रित पदाधिकारी	–	सदस्य

(II) **जिला स्तरीय स्थापना समिति (स्नातक प्रशिक्षत शिक्षकों हेतु) :-**

(i)	उपायुक्त	–	अध्यक्ष
(ii)	उप विकास आयुक्त	–	सदस्य
(iii)	जिला शिक्षा पदाधिकारी	–	सदस्य सचिव
(iv)	जिला कल्याण पदाधिकारी	–	सदस्य
(iv)	जिला शिक्षा अधीक्षक	–	सदस्य
(v)	उपायुक्त द्वारा मनोनीत जिला के अनुसूचित जाति/जनजाति के एक पदाधिकारी	–	सदस्य

(III) **जिला स्तरीय स्थापना समिति (शिक्षकेत्तर कर्मचारियों हेतु) :-**

(i)	जिला शिक्षा पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
(ii)	जिला के वरीयतम जिला शिक्षा अधीक्षक	–	सदस्य
(iii)	उपायुक्त द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राजपत्रित पदाधिकारी	–	सदस्य

अध्याय – 9

अन्यान्य

12. इस नियमावली के अन्तर्गत होने वाली सभी प्रकार की नियुक्ति एवं प्रोन्नति (सभी श्रेणियों के वरीय वेतनमान् में प्रोन्नति को छोड़कर) में झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय संवर्ग में राज्य स्तर आरक्षण एवं जिला स्तरीय सम्वर्ग में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा तथा नियुक्ति में आरक्षण का लाभ झारखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। झारखण्ड सरकार द्वारा लागू क्षैतिज आरक्षण प्रावधान भी नियमानुसार लागू होंगे।

13. इस नियमावली के नियम 3 एवं 4 में उल्लेखित सभी श्रेणियों में इस नियमावली के तहत् नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवा वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार की संकल्प संख्या 518 वि दिनांक 09.12.2004 द्वारा प्रख्यापित झारखण्ड सरकार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना 2004 के अधीन अंशदायी पेंशन प्रदायी होगी।

14. इस नियमावली के नियम 3 एवं 4 में उल्लेखित सभी श्रेणियों में नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई झारखण्ड सेवा संहिता, बिहार एवं उड़ीसा अवर सेवायें (अनुशासन एवं अपील नियमावली–1935, झारखण्ड बोर्ड मिसलेनियस रुल्स) एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किये गये सुसंगत प्रावधानों के तहत् की जाएगी।

15. इस नियमावली के नियम 3 एवं 4 में उल्लेखित सभी श्रेणियों में नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत सुसंगत परिपत्रों के तहत देय होगा।

16. इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर राज्य सरकार उस कठिनाई को दूर करने के लिये ऐसी कार्रवाई या आदेश पारित कर सकेगी, जो आवश्यक प्रतीत होता हो तथा ऐसी की गयी कार्रवाई या आदेश इस नियमावली के अंग माने जायेंगे।

17. अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में नियमावली में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उसमें झारखण्ड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे। शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को विहित नियमों के अधीन यह सुविधा देने की शक्ति सम्वर्ग के नियंत्री पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी को होगी।

18. इस नियमावली के नियम 3 एवं 4 के तहत् उल्लिखित शिक्षक (प्रधानाध्यापक सहित) एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की श्रेणियों का स्थानान्तरण इस नियमावली के अधीन गठित किये गये राज्य स्तरीय स्थापना समिति द्वारा राज्य स्तरयी संवर्ग तथा जिला स्तरीय सम्वर्ग के जिला स्तरीय स्थापना समिति द्वारा किया जाएगा। स्थानान्तरण मात्र जून माह में स्थापना समिति के माध्यम से ही राज्य सरकार, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए ही किया जायेगा।

(I) इस नियमावली के अधीन नियुक्त शिक्षक अपने सेवाकाल में न्यूनतम् 10(दस) वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवा देंगे तथा किसी भी परिस्थिति में किसी एक विद्यालय में इनकी सेवा 10 (दस) वर्षों से अधिक नहीं रहेगी।

19. इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व सहायक शिक्षकों का संवर्ग राज्य स्तरीय था। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के फलस्वरूप अब सहायक शिक्षकों का संवर्ग जिला स्तरीय हो गया है। ऐसी स्थिति में वैसे सहायक शिक्षक, जो एक जिला से किसी अन्य जिला में जाना चाहते हैं, को मात्र निम्न शर्त्तों के साथ एक अवसर दिया जायेगा :–

(i) पुरुष शिक्षक मात्र वैसे जिला में स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकते हैं, जिस जिला में उनका स्थायी निवास का प्रमाण पत्र हो।

(ii) महिला शिक्षक मात्र वैसे जिला में स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकते हैं, जिस जिला में उनके पिता अथवा पति का स्थायी निवास का प्रमाण पत्र हो।

(iii) सेवा पुस्तिका में अंकित स्थायी पता ही मात्र ऐसे मामलों हेतु स्थायी निवास का प्रमाण पत्र माना जायेगा।

(iv) इस तरह का स्थानान्तरण नियमावली लागू होने के पश्चात् आने वाले अनुवर्त्ती माह जून में मात्र एक अवसरीय होगा।

(v) जिस जिला से स्थानान्तरण किया जाना है, उस जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास आवेदन दिया जायेगा तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला स्थापना समिति के विचारार्थ रखेंगे तथा उपर्युक्त शर्त्तों को पूरा करने वाले सहायक शिक्षक का स्थानान्तरण संबंधी निर्णय उस जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा जायेगा, जहां पर सहायक शिक्षक जाना चाहते हैं तथा उस जिला की स्थापना समिति द्वारा शर्त्तों के जांचोपरान्त सहायक शिक्षकों को पदस्थापित करने का निर्णय लिया जायेगा।

20. इस नियमावली के नियम 3 में उल्लिखित प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं पुनर्रीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिला लेखा पदाधिकारी की सहमति से वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्गत संगत संकल्प/आदेश पत्र/परिपत्र के आलोक में किया जायेगा।

21. सभी श्रेणियों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका का संधारण प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन से किया जायेगा। सभी सेवा पुस्तिकायें जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेंगी तथा संबंधित शिक्षक/कर्मचारी की मांग करने पर सेवा पुस्तिका की छायाप्रति उन्हें उपलब्ध करायी जा सकेगी।

22. निम्नांकित की गोपनीय चरित्र पुस्ति –

(i) **प्रधानाध्यापक** – जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा लिखी जायेगी तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी इसे क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को भेजेंगे तथा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक इसे समीक्षोपरान्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध करायेंगे।

(ii) **सहायक शिक्षक** – संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा लिखी जायेगी। इसके समीक्षा पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तथा समीक्षोपरान्त सहायक शिक्षकों की गोपनीय चरित्र पुस्ति अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे।

(iii) **लिपिक** – संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा लिखी जायेगी। इसके समीक्षा पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तथा समीक्षोपरान्त लिपिकों की गोपनीय चरित्र पुस्ति अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे।

(iv) **आदेशपाल** – संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा लिखी जायेगी।

274

23. **अवकाश –**

इस नियमावली के नियम 3 में उल्लेखित सभी श्रेणियों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का अवकाश निम्नवत् स्वीकृत किया जायेगा :–

क्रम संख्या	अवकाश का स्वरूप	शिक्षक एवं कर्मचारी की श्रेणी	स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार
1.	प्रधानाध्यापक	आकस्मिक अवकाश (कोरेनटाईन एवं मातृत्व अवकाश सहित)	जिला शिक्षा पदाधिकारी
		30 दिनों तक उपार्जित/ असाधारण अवैतनिक/रूपान्तरित आधे वेतन अदेय असाधारण अवकाश आदि	जिला शिक्षा पदाधिकारी
		30 दिनों से अधिक उपार्जित/ असाधारण अवैतनिक/रूपान्तरित आधे वेतन अदेय असाधारण अवकाश आदि	क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक
2.	सभी कोटि के शिक्षक	आकस्मिक अवकाश (कोरेनटाईन एवं मातृत्व अवकाश सहित)	विद्यालय के प्रधानाध्यापक
		उपार्जित/असाधारण अवैतनिक/ रूपान्तरित आधे वेतन अदेय असाधारण अवकाश आदि	जिला शिक्षा पदाधिकारी
3.	सभी कोटि के शिक्षकेत्तर कर्मचारी (चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को छोड़कर)	आकस्मिक अवकाश (कोरेनटाईन एवं मातृत्व अवकाश सहित)	विद्यालय के प्रधानाध्यापक
		30 दिनों तक उपार्जित/ असाधारण अवैतनिक/रूपान्तरित आधे वेतन अदेय असाधारण अवकाश आदि	विद्यालय के प्रधानाध्यापक
		30 दिनों से अधिक उपार्जित/असाधारण अवैतनिक/ रूपान्तरित आधे वेतन अदेय असाधारण अवकाश आदि	जिला शिक्षा पदाधिकारी

नोट :– चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

24. इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व इस नियमावली के विषयों पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत सभी नियमावली/संकल्प/आदेश निरसित माने जायेंगे। परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी उल्लेखित संकल्प/आदेश द्वारा या उसके अधीन व्यक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

1.3.16

(आराधना पटनायक)
सरकार के सचिव

273

ज्ञापांक : 12/नि.1-07/2012/ 434 राँची, दिनांक ..... 01 ..... मार्च, 2016

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के आगामी असाधारण में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

1.3.16

(आराधना पटनायक)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 12/नि.1-07/2012/ 434 राँची, दिनांक ..... 01 ..... मार्च, 2016

प्रतिलिपि : झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/सभी क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1.3.16

(आराधना पटनायक)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 12/नि.1-07/2012/ 434 राँची, दिनांक ..... 01 ..... मार्च, 2016

प्रतिलिपिः- महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1.3.16

(आराधना पटनायक)
सरकार के सचिव

OC

OC

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

अधिसूचना

संख्या 6/व.1-97/2004 ..... 2425 ..... भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल सभी कोटि के सरकारी +2 विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :-

अध्याय - 1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-

(1) यह नियमावली झारखण्ड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2012 कहलायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

अध्याय - 2

2. परिभाषाएँ :- जब तक कोई बात, विषय संदर्भ न हो इस नियमावली में :-

(i) "+2 विद्यालय" से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य अन्तर्गत वर्ग 12 तक के ऐसे विद्यालय, जिनका संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(ii) "निदेशक" से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य के माध्यमिक शिक्षा के निदेशक।

(iii) "क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक" से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य में प्रमंडलीय स्तर पर क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के पद पर पदस्थापित पदाधिकारी।

(iv) "जिला शिक्षा पदाधिकारी" से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य में जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित पदाधिकारी।

(v) "प्राचार्य" से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकार द्वारा +2 विद्यालयों के प्रधान के रूप में नियुक्त शिक्षक, चाहे उसका पदनाम जो भी हो।

(vi) "स्नातकोत्तर शिक्षक" से अभिप्रेत है, +2 विद्यालयों के लिये नियुक्त विभिन्न विषयों के शिक्षक।

(vii) "प्रयोगशाला सहायक" से अभिप्रेत है, +2 विद्यालेयों में स्थापित किये गये प्रयोगशाला में सहायक के रूप में कार्य करने वाला प्रभारी।

(viii) "शिक्षकेत्तर कर्मचारी" से अभिप्रेत है, वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पद पर +2 विद्यालयों के लिये नियुक्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी।

(ix) "झारखण्ड अधिविद्य परिषद्" से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्थापित झारखण्ड अधिविद्य परिषद्।

(x) "सरकार" से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य सरकार।

(xi) "सरकार के सचिव" से अभिप्रेत है, मानव संसाधन विकास विभाग के सचिव/प्रधान सचिव।

(xii) "राज्य" से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य।

(xiii) "सक्षम प्राधिकार" से अभिप्रेत है, प्राधिकार, जिसे राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति करने हेतु अनुशंसा के साथ मेधा सूची प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करे।

(xiv) "प्रशिक्षण" से अभिप्रेत है, मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा बी0एड0 के समकक्ष घोषित डिग्री।

(xv) "मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के अस्तित्व में आने की तिथि 17.08.1995 से पूर्व के मामलों में राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान।

अध्याय – 3

3. +2 सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की अधोलिखित श्रेणियाँ होंगी :-

(क) प्राचार्य – (i) प्राचार्य, मूल कोटि।
वेतनमान रु0 15600-39100, ग्रेड पे0 – रु0 7600/-

(ख) उप प्राचार्य – (i) उप प्राचार्य, मूल कोटि।
वेतनमान रु0 9300-34800, ग्रेड पे0 – रु0 5400/-
(ii) उप प्राचार्य, वरीय वेतनमान कोटि।
वेतनमान रु0 15600-39100, ग्रेड पे0 – रु0 6600/-

(ख) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक – (i) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित मूल कोटि।
वेतनमान रु0 9300-34800, ग्रेड पे0 – रु0 4800/-
(ii) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित वरीय वेतनमान कोटि।
वेतनमान रु0 9300-34800, ग्रेड पे0 – रु0 5400/-
(iii) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित प्रवरण वेतनमान कोटि।
वेतनमान रु0 15600-39100, ग्रेड पे0 – रु0 6600/-

4. +2 विद्यालय में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियाँ होंगी :-

(क) प्रयोगशाला सहायक – (i) मूल कोटि।
वेतनमान रु0 9300-34800, ग्रेड पे0 – रु0 4200/-
(ii) वरीय वेतनमान कोटि।
वेतनमान रु0 9300-34800, ग्रेड पे0 – रु0 4600/-
(iii) प्रवरण वेतनमान कोटि।
वेतनमान रु0 9300-34800, ग्रेड पे0 – रु0 4800/-

(ख) लिपिक – कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 11243 दिनांक 06.12.1995 के द्वारा निरूपित प्रावधानों के अन्तर्गत एवं सरकारी उच्च विद्यालय में कार्यरत लिपिक सम्वर्ग के अनुरूप श्रेणियाँ होंगी तथा सरकारी उच्च विद्यालयों में अथवा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा लागू लिपिक पद पर नियुक्ति का प्रावधान लागू होगा।

2425
4/9/12

(ग) आदेशपाल– कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 164 दिनांक 03.12.1980 एवं संकप्ल संख्या 3577 दिनांक 25.04.97 में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अधीन आदेशपाल की नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

5. नियम 3 एवं 4(क) में शिक्षकों एवं प्रयोगशाला सहायकों की दर्शायी गयी श्रेणियों में से मात्र मूल कोटि की श्रेणियों में ही इस नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के तहत् सीधी नियुक्ति की जायेगी। वरीय वेतनमान् कोटि अथवा प्रवरण वेतनमान् कोटि के पद प्रोन्नति द्वारा उस श्रेणी के मूल कोटि के नियुक्त प्राचार्य/उप प्राचार्य/स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक/प्रयोगशाला सहायक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप भरा जायेगा।

परन्तु यह कि +2 विद्यालयों में इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से पूर्व राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्त अप्रशिक्षित व्याख्याता, जिन्होंने नियमावली प्रवृत्त होने की तिथि तक 15 वर्षों की सेवा अप्रशिक्षित व्याख्याता के रूप में पूरा कर लिया है, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् (CBSE) उप विधियों के मानदण्ड के अनुसार उनके लिये प्रशिक्षण प्राप्त करने की बाध्यता को शिथिल किया जाता है तथा वे नियमावली में निर्धारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित प्रक्रिया के तहत् प्रोन्नति के हकदार होंगे तथा नियम-3 में उल्लेखित प्राचार्य/उप प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकते हैं, वशर्ते कि वे अन्य अहर्त्ताएँ पूरा करते हों।

6. केन्द्रीय विद्यालय संगठन नियमावली एवं वित्त विभाग, झारखण्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप नियम 3 एवं 4 में दर्शायी गयी श्रेणियों के मूल कोटि के वेतनमान् में 12 वर्षों की संतोषप्रद सेवा के बाद उस श्रेणी का वरीय वेतनमान देय होगा। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक की श्रेणी में प्रवरण वेतनमान का लाभ मूल कोटि में स्वीकृत पदो के 20% अनुमान्य पद के विरुद्ध वरीय वेतनमान में न्यूनतम् 12 वर्षों की सेवा करने वाले शिक्षकों/प्रयोशाला सहायकों को वरीयता क्रम में देय होगा। प्रवरण वेतनमान् में राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति का अनुशरण किया जायेगा। उक्त प्रोन्नति इस नियमावली के अध्याय-10 में गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति द्वारा राज्य स्तरीय सम्वर्ग के पदों पर तथा जिला स्तरीय स्थापना समिति द्वारा जिला स्तरीय सम्वर्ग के पदों पर दी जायेगी।

अध्याय - 4

7. सम्वर्ग :-

(क) +2 विद्यालय में प्राचार्य/उप प्राचार्य/स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक/प्रयोगशाला सहायक का सम्वर्ग राज्य स्तरीय होगा तथा इनके नियुक्ति पदाधिकारी निदेशक, माध्यमिक शिक्षा होंगे।

(ख) +2 विद्यालय में लिपिक एवं आदेशपाल का सम्वर्ग जिला स्तरीय होगा तथा इनके नियुक्ति पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे।

अध्याय - 5

8. वेतनमान :- इस नियमावली के नियम 3 एवं 4 में उल्लेखित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की श्रेणियों का वेतनमान् राज्य सरकार द्वारा लागू वेतनमान् होगा।

अध्याय - 6

9. स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक की अहर्त्ताएँ एवं नियुक्ति की प्रक्रिया :-

(I) +2 विद्यालयों में इस नियमावली के नियम 3(ग)(i) में उल्लेखित रिक्त पदों की आरक्षण प्रावधान के अनुरूप कोटिवार रिक्तियों की सूचना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग अथवा कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत प्राधिकार को भेजा जायेगा। इस प्रकार चिन्हित रिक्तियों में से 50 प्रतिशत पद पर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के निर्धारित अहर्त्ता प्राप्त तीन वर्षों के अनुभव रखने वाले शिक्षकों द्वारा तथा 50 प्रतिशत पद पर सीधी नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा। उक्त सभी नियुक्तियों का आधार झारखण्ड लोक सेवा आयोग अथवा कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा आयोजित एक जाँच परीक्षा होगी। जाँच परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निम्न अहर्त्ताधारी से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे :-

2425
4/9/12

(i) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय, जिसमें नियुक्ति होनी है, में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होगी। परन्तु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होगी।

(ii) इस नियमावली के अध्याय-2 के नियम 2(xiv) एवं 2(xv) के अनुरूप शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किये हों। परन्तु वैसे अभ्यर्थी, जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिये हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, को शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिये आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जायेगी। परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षाफल झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति की प्रशिक्षण परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक समर्पित करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् आयोग द्वारा उसकी अनुशंसा विभाग को उपलब्ध करायी जा सकेगी।

(iii) जिस पंचांग वर्ष में नियुक्ति के लिये विज्ञापन निकाला जायेगा, उस वर्ष की पहली जनवरी को उम्मीदवार की आयु न्यूनतम् 21 वर्ष तथा अधिकतम कोटिवार निम्नरूपेण होगी :-

			विकलांग हेतु
1.	सामान्य कोटि	40 वर्ष	45 वर्ष
2.	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	43 वर्ष	48 वर्ष
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	42 वर्ष	47 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति (पुरुष/महिला)	45 वर्ष	50 वर्ष
5.	अनुसूचित जनजाति (पुरुष/महिला)	45 वर्ष	50 वर्ष

(iv) जाँच परीक्षा निम्नवत् होगी :-

(क) प्रश्न पत्र (1)- सामान्य ज्ञान एवं हिन्दी भाषा की परीक्षा- 100 अंक

(ख) प्रश्न पत्र (2)- जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा - 300 अंक

(v) उक्त प्रश्न पत्र (1) एवं प्रश्न पत्र (2) की परीक्षाएँ तीन-तीन घंटे की होंगी, अर्थात् प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा तीन घंटे की होगी। प्रश्न पत्र (1) अहर्क (Qualifying) प्रश्न पत्र होगा, अर्थात् इसमें मात्र न्यूनतम् 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं किया जाता है, उनके प्रश्न पत्र (2) की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। प्रश्न पत्र (1) में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे।

(vi) प्रश्न पत्र (2) का स्तर भी स्नातक स्तरीय होगा तथा प्रश्न पत्र (2) में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी, परन्तु यह कि न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। यह मेधा सूची स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति का आधार होगा। प्रश्न पत्र (1) एवं (2) वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा।

2425
4/9/12

(vii) प्राप्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षिक/प्रशैक्षणिक/जाति प्रमाण पत्रों की जाँच करते हुए +2 विद्यालयो में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु नियमावली में गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति होगी।

(viii) राज्य स्तरीय स्थापना समिति के निर्णय के आलोक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा नियुक्ति पत्र निर्गत कर सकेंगे।

अध्याय – 7

10. उप प्राचार्य की अहर्त्ताएँ एवं नियुक्ति की प्रक्रिया :–

(I) +2 विद्यालयों में इस नियमावली के नियम 3(ग)(i) में उल्लेखित उप प्राचार्य के रिक्त पदों का 50 प्रतिशत पद निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्त्ता वाले +2 विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों से कार्यरत स्नातकोत्तर शिक्षक से वरीयता सह मेधा क्रम में प्रोन्नति द्वारा इस नियमावली में गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार का आदेश प्राप्त कर भरा जायेगा। वरीयता का निर्धारण कार्मिक प्रशासनिका सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी सुसंगत परिपत्रों मे निहित प्रावधानों के तहत् किया जायेगा।

(II) +2 विद्यालयों में इस नियमावली के नियम 3(ख)(i) में उल्लेखित उप प्राचार्य के रिक्त पदों का शेष 50 प्रतिशत पद पर सीधी नियुक्ति हेतु आरक्षण प्रावधान के अनुरूप कोटिवार रिक्तियों की सूचना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग अथवा झारखण्ड सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत प्राधिकार को भेजा जायेगा एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग अथवा झारखण्ड सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा आयोजित जाँच परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निम्न अहर्त्ताधारी से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे :–

(i) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से राज्य में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से किसी एक विषय में न्यूनतम् 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होगी।

(ii) इस नियमावली के अध्याय–2 के नियम (xiv) एवं (xv) के अनुरूप शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किये हों।

(iii) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों में नियुक्ति वाले विषय में न्यूनतम पाँच वर्षों का स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में शिक्षण अनुभव।

(iv) उप प्राचार्य के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्षों की होगी। परन्तु यह कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभागके परिपत्रों के आलोक में आरक्षित वर्ग यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/महिला वर्ग/विकलांग को तद्नुरूप आयु सीमा में छूट का प्रावधान होगा।

(III) जाँच परीक्षा निम्नवत् होगी :–

(i) (क) प्रश्न पत्र (1) – सामान्य ज्ञान की परीक्षा – 100 अंक

(ख) प्रश्न पत्र (2) – जिस विषय में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई है, उस विषय की परीक्षा – 100 अंक

2425
4/9/12

(ii) उक्त प्रश्न पत्र (1) एवं प्रश्न पत्र (2) की परीक्षाएँ तीन–तीन घंटे की होंगी, अर्थात् प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा तीन घंटे की होगी। दोनों प्रश्न पत्रों में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे।

(iii) प्रश्न पत्र (1) एवं (2) में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी, परन्तु यह कि प्रश्न पत्र (1) एवं (2) में योग के रूप में न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। यह मेधा सूची उप प्राचार्य पद पर नियुक्ति का आधार होगा। प्रश्न पत्र (1) एवं (2) वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा।

(iv) प्राप्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षिक/शैक्षणिक/जाति प्रमाण पत्रों की जाँच करते हुए +2 विद्यालयों में उप प्राचार्य के रिक्त पदो के विरुद्ध नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु इस नियमावली में गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति होगी।

(v) राज्य स्तरीय स्थापना समिति के निर्णय के आलोक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा नियुक्ति पत्र निर्गत कर सकेंगे।

अध्याय - 8

11. प्राचार्य की अहर्त्ताएँ एवं नियुक्ति की प्रक्रिया :-

(I) +2 विद्यालयों में इस नियमावाली के नियम 3(क)(i) में उल्लेखित प्राचार्य के रिक्त पदों का एक तिहाई अर्थात् 33 प्रतिशत पद निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्त्ता वाले +2 विद्यालयों में कार्यरत स्नातकोत्तर शिक्षक से वरीयता सह मेधा क्रम में प्रोन्नति द्वारा इस नियमावली में गठित राज्य स्तरीय समिति के विचार एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार का आदेश प्राप्त कर भरा जायेगा। वरीयता का निर्धारण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभागद्वारा जारी सुसंगत परिपत्रों में निहित प्रावधानों के तहत किया जायेगा।

(II) +2 विद्यालयों में इस नियमावली के नियम 3(क)(i) में उल्लेखित प्राचार्य के रिक्त पदों को दो तिहाई अर्थात् 67 प्रतिशत पद पर सीधी नियुक्ति हेतु आरक्षण प्रावधान के अनुरूप कोटिवार रिक्तियों की सूचना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग अथवा झारखण्ड सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत प्राधिकार को भेजा जायेगा एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग अथवा झारखण्ड सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा आयोजित जाँच परीक्षा में सम्मिलत होने हेतु निम्न अहर्त्ताधारी से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे :-

(i) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से राज्य में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से किसी एक विषय में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होगी।

(ii) इस नियमवाली के अध्याय-2 के नियम 2(xiv) एवं 2(xv) के अनुरूप शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किये हों।

(iii) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों में नियुक्ति वाले विषय में न्यूनतम आठ वर्षों का स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में शिक्षण अनुभव।

(iv) प्राचार्य के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम् आयु 35 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 50 वर्षो की होगी। परन्तु यह कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभागके परिपत्रों के आलोक में आरक्षित वर्ग यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/महिला वर्ग/विकलांग को तद्नुरूप आयु सीमा में छूट का प्रावधान होगा।

(v) Computer Application की जानकारी।

(III) जाँच परीक्षा निम्नवत होगी :-

(i) (क) प्रश्न पत्र (1) - सामान्य ज्ञान की परीक्षा - 100 अंक

(ख) प्रश्न पत्र (2) - जिस विषय में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई है उस विषय की परीक्षा - 100 अंक

(ii) उक्त प्रश्न पत्र (1) एवं प्रश्न पत्र (2) की परीक्षाएँ तीन-तीन घंटे की होंगी, अर्थात् प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा तीन घंटे की होगी। दोनों प्रश्न पत्रों में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे।

2425
4/9/12

(iii) प्रश्न पत्र (1) एवं (2) में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी, परन्तु यह कि प्रश्न पत्र (1) एवं (2) में योग के रूप में न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। यह मेधा सूची उप प्राचार्य पद पर नियुक्ति का आधार होगा। प्रश्न पत्र (1) एवं (2) वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा।

(iv) प्राप्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षिक/प्रशैक्षणिक/जाति प्रमाण पत्रों की जाँच करते हुए +2 विद्यालयों में प्राचार्य के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु इस नियमावली में गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति होगी।

(v) राज्य स्तरीय स्थापना समिति के निर्णय के आलोक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा नियुक्ति पत्र निर्गत कर सकेंगे।

अध्याय – 9

12. प्रयोगशाला सहायक की अहर्त्ताएँ एवं नियुक्ति की प्रक्रिया :-

(I) +2 विद्यालयों में इस नियमावली के नियम 4(क)(i) में उल्लेखित सभी रिक्त पदों की आरक्षण प्रावधान के अनुरूप कोटिवार रिक्तियों की सूचना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग अथवा कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत प्राधिकार को भेजा जाएगा। उक्त सभी नियुक्तियों का आधार कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा आयोजित एक जाँच परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निम्न अहर्त्ताधारी से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे :-

(i) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय जिसमें नियुक्ति होनी है, में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होगा।

(ii) जिस पंचाग वर्ष में नियुक्ति के लिये विज्ञापन निकाला जायेगा, उस वर्ष की पहली जनवरी को उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम कोटिवार आयु वही होगी, जो कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या 2096 दिनांक 25.04.2011 द्वारा निर्धारित किया गया है।

(iii) जाँच परीक्षा निम्नवत् होगी :-

(क) प्रश्न पत्र (1)- सामान्य ज्ञान एवं हिन्दी भाषा की परीक्षा- 100 अंक

(ख) प्रश्न पत्र (2)- जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा - 300 अंक

(iv) उक्त प्रश्न पत्र (1) एवं प्रश्न पत्र (2) की परीक्षाएँ तीन-तीन घंटे की होंगी, अर्थात् प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा तीन घंटे की होगी। प्रश्न पत्र (1) अहर्क (Qualifying) प्रश्न पत्र होगा, अर्थात् इसमें मात्र न्यूनतम् 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं किया जाता है, उनके प्रश्न पत्र (2) की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। प्रश्न पत्र (1) में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे।

2425
4/9/12

(v) प्रश्न पत्र (2) का स्तर भी स्नातक स्तरीय होगा तथा प्रश्न पत्र (2) में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी, परन्तु यह कि न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। यह मेधा सूची प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्ति का आधार होगा। प्रश्न पत्र (1) एवं (2) वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा।

(vi) प्राप्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षिक/प्रशैक्षणिक/जाति प्रमाण पत्रों की जाँच करते हुए +2 विद्यालयो में प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु इस नियमावली में गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति होगी।

(vii) राज्य स्तरीय स्थापना समिति के निर्णय के आलोक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा नियुक्ति पत्र निर्गत कर सकेंगे।

अध्याय – 10

13. **स्थापना समिति** :- नियमावली के नियम 3 एवं 4 में दर्शायी गयी शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के श्रेणियों में नियुक्ति, पदस्थापन, प्रोन्नति एवं अन्य कार्रवाईयों हेतु निम्नवत् राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय स्थापना समिति गठित की जाती है :-

(I) **राज्य स्तरीय स्थापना समिति** :-

(i)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	–	पदेन अध्यक्ष
(ii)	उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा (विषय प्रभारी)	–	पदेन सदस्य
(iii)	वरीयतम क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक	–	पदेन सदस्य
(iv)	विभागीय सचिव द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति का एक राजपत्रित पदाधिकारी	–	सदस्य

(II) **जिला स्तरीय स्थापना समिति** :-

(i)	जिला शिक्षा पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
(ii)	जिला के वरीयतम अवर प्रमंडल शिक्षा पदाधिकारी	–	सदस्य
(iii)	उपायुक्त द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राजपत्रित पदाधिकारी	–	सदस्य

अध्याय – 11

अन्यान्य

14. इस नियमावली के अन्तर्गत होने वाली सभी प्रकार की नियुक्ति एवं प्रोन्नति (सभी श्रेणियों के वरीय वेतनमान में प्रोन्नति को छोड़कर) में झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय सम्वर्ग में राज्य स्तरीय आरक्षण नियमों एवं जिला स्तरीय सम्वर्ग में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा तथा नियुक्ति में आरक्षण का लाभ मात्र झारखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा।

15. इस नियमावली के नियम 3 एवं 4 में उल्लेखित सभी श्रेणियों में इस नियमावली के तहत् नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवा झारखण्ड सरकार वित्त विभाग संकल्प संख्या 518 वि दिनांक 09.12.2004 द्वारा प्रख्यापित "झारखण्ड सरकार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना 2004 के अधीन अंशदायी पेंशन प्रदायी होगी।"

16. इस नियमावली के नियम 3 एवं 4 में उल्लेखित सभी श्रेणियों में नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई झारखण्ड सेवा संहिता, बिहार एवं उड़ीसा अवर सेवायें (अनुशासन एवं अपील नियमावली-1935) एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभागके सुसंगत प्रावधानों के तहत किया जा सकेगा।

2425
4/9/12

17. इस नियमावली के नियम 3 एवं 4 में उल्लेखित सभी श्रेणियों में नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश, मातृत्व अवकाश, कॉरनटाईन लीभ, उपार्जित अवकाश, रूपांतरित अवकाश, अर्द्ध वैतनिक अवकाश, असाधारण अवकाश, झारखण्ड सेवा संहिता एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभागद्वारा निर्गत सुसंगत

परिपत्रों के तहत देय होगा। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों हेत अवकाश स्वीकृति हेतु घोषित सक्षम प्राधिकार ही इस नियमावली के तहत नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे।

18. इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर राज्य सरकार उस कठिनाई को दूर करने के लिये ऐसी कार्रवाई या आदेश पारित कर सकेगी, जो आवश्यक प्रतीत होता हो तथा ऐसी की गयी कार्रवाई या आदेश इस नियमावली के अंग माने जायेंगे।

19. अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में नियमावली में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उसमें झारखण्ड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे। शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को विहित नियमों के अधीन यह सुविधा देने की शक्ति सम्वर्ग के नियंत्री पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी की होगी।

20. इस नियमावली के नियम 3 एवं 4 के तहत उल्लेखित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की श्रेणियों का स्थानान्तरण सरकारी माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों हेतु निर्धारित नीति के तहत इस नियमावली के अधीन गठित किये गये राज्य स्तरीय स्थापना समिति द्वारा राज्य स्तरीय सम्वर्ग का तथा जिला स्तरीय सम्वर्ग का जिला स्तरीय स्थापना समिति द्वारा किया जा सकेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

4/9/2012

(बी0 के0 त्रिपाठी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 6/व.1-97/2004 2425 राँची, दिनांक 04 सितम्बर 2012

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के आगामी असाधारण में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 600 प्रतियाँ अविलम्ब मानव संसाधन विकास विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

4/9/2012

(बी0 के0 त्रिपाठी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 6/व.1-97/2004 2425 राँची, दिनांक 04 सितम्बर 2012

प्रतिलिपि : झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/सभी क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/9/2012

(बी0 के0 त्रिपाठी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 6/व.1-97/2004 2425 राँची, दिनांक 04 सितम्बर 2012

प्रतिलिपिः- महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/9/2012

(बी0 के0 त्रिपाठी)
सरकार के प्रधान सचिव